मध्यवर्तियों का चयन

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) विधेयक के संसद में पारित होने के लंबित रहते भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा नई पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के संबंध में जनवरी, 2007 में विभिन्न राज्य सरकारों के मुख्य मंत्रियों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था । इस सम्मेलन में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई के भाग के रूप में भारत सरकार ने पीएफआरडीए को सलाह दी है कि वह एनपीएस के अंतर्गत शामिल केन्द्र सरकार और स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों की पेंशन निधियों के प्रबंधन हेतु केन्द्रीय अभिलेखपाल अभिकरण और निधि प्रबंधकों की नियुक्ति करे । बाद में, चयनित सीआरए और पेंशन निधियों द्वारा विकसित प्रणाली राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों द्वारा उपयोग और एनपीएस के तहत शामिल ऐसी सरकारों के अंतर्गत स्वायत्त निकायों द्वारा प्रयोग के लिए पेश की जाएगी ।

केन्द्रीय अभिलेखपाल अभिकरण (सीआरए) का चयन

पीएफआरडीए ने एनपीएस के अंतर्गत अभिदाताओं के वैयक्तिक सेवानिवृत्ति खाते खोलने और उनके रखरखाव तथा अनेक संबद्ध सेवाएं देने के लिए जिम्मेवार सीआरए के रूप में कार्य करने हेतु प्रौद्योगिकी आधारित केन्द्रीय प्रशासन और अभिलेखपाल प्रणालियों के विकास और प्रबंधन का अनुभव रखने वाली सरकारी क्षेत्र की कंपनियों से रूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित करने के लिए एक विज्ञापन (22 जनवरी,2007) जारी किया था।

केन्द्रीय अभिलेखपाल और प्रशासन कार्यों में कम से कम 5 वर्ष्ज्ञ के अनुभव, 50 करोड़ रूपये (पचास करोड़ रूपये) के न्यूनतम धनात्मक निवल मूल्य और पिछले तीन वर्ष्ज्ञ के दौरान पांच लाख से अधिक व्यष्टि खाते प्रतिवर्ष्ज्ञ के प्रबंधन के अनुभव वाली सरकारी क्षेत्र की कंपनियां रूचि की अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने के लिए पात्र थीं।

इस विज्ञापन के प्रत्युत्तर में पीएफआरडीए को निम्नलिखित छह कंपनियों से रूचि की अभिव्यक्तियां प्राप्त हुईं;

- भारतीय जीवन बीमा निगम
- नेशनल सिक्यूरिटीज डिपाजिटरीज लिमिटेड
- स्टॉक होल्डिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड
- युनियन बैंक ऑफ इंडिया
- यूटीआई टेक्नोलॉजी सर्विसिज लिमिटेड
- राईटर इन्फारमेशन

सभी छह कंपनियों द्वारा प्रस्तुत रूचि की अभिव्यक्तियों की पीएफआरडीए द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंडों के आलोक में जांच की गई थी और निम्नलिखित चार कंपनियों को, जो पात्रता शर्तें पूरी करती थीं विस्तृत तकनीकी एवं वाणिज्यिक प्रस्ताव आमंत्रित करते हुए प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी) दस्तावेज जारी किए गए थे:

- भारतीय जीवन बीमा निगम
- नेशनल सिक्यूरिटीज डिपाजिटरीज लिमिटेड

- स्टॉक होल्डिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड
- यूटीआई टेक्नोलॉजी सर्विसिज लिमिटेड

इन चार कंपनियों में से सिर्फ तीन कंपनियों ने आरएफपी दस्तावेजो में वर्णित अपेक्षाओं के अनुसार पीएफआरडीए को अपने तकनीकी और वाणिज्यिक प्रस्ताव प्रस्तुत किए । जीवन बीमा निगम ने कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया ।

तकनीकी और वाणिज्यिक प्रस्तावों का मूल्यांकन करने और सीआरए के रूप में कार्य करने के लिए सबसे उपयुक्त कंपनी की अनुशंसा पीएफआरडीए को करने हेतु मूल्यांकन समिति का गठन किया गया था । इस समिति ने आरएफपी दस्तावेज में निर्दिष्ट अपेक्षाओं के आधार पर सीआरए के रूप में कार्य करने हेतु सबसे उपयुक्त कंपनी के रूप में नेशनल सिक्यूरिटीज डिपाजिटरीज लिमिटेड की अनुशंसा की । पीएफआरडीए ने इस समिति की अनुशंसा स्वीकार की और सीआरए के रूप में नेशनल सिक्यूरिटीज डिपाजिटरीज लिमिटेड का चयन किया है । संविदा वार्ताएं चल रही हैं और एनपीएस के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों के संबंध में सीआरए के रूप में एनएसडीएल के नियुक्त किए जाने की संभावना है ।

निधि प्रबंधकों के प्रायोजकों का चयन

पीएफआरडीए ने नई पेंशन प्रणाली के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों हेतु पेंशन निधियों को प्रायोजित करने के लिए सरकारी क्षेत्र की कंपनियों से रूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित करने के लिए विज्ञापन और प्रारंभिक सूचना ज्ञापन (पीआईएम) जारी किया । पात्र होने के लिए प्रायोजकों से अन्य बातों के साथ-साथ मार्च, 2007 के महीने में कम से कम 10,000 करोड़ रूपए की प्रबंधनाधीन औसत परिसंपत्तियों के साथ निधि प्रबंधन का कम से कम 5 वर्षों का अनुभव अपेक्षित था ।

रूचि की अभिव्यक्ति के प्रस्तुतीकरण की अंतिम तारीख 25 मई, 2007 थी । इसके प्रत्युत्तर में केनरा बैंक, आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसिज लिमिटेड, भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय स्टेट बैंक, यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, सिक्यूरिटीज ट्रेडिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड और पंजाब नेशनल बैंक नामक सरकारी क्षेत्र की सात कंपनियों से रूचि की अभिव्यक्तियां प्राप्त हुई थी ।

इन सात कंपनियों में से चार कंपनियों ने पीआईएम में यथानिर्धारित पात्रता की अपेक्षाएं पूरी कीं और इन्हें एनपीएस के अंतर्गत पेंशन निधियों के प्रायोजन हेतु प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी) जारी करने के लिए आमंत्रित किया गया था। चार कंपनियों, जिन्हें 11 जून, 2007 को प्रस्ताव हेतु अनुरोध जारी किए गए थे, वे हैं आईडीबीआई कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड, भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय स्टेट बैंक और यूटी आई एसेट मैनेजमेंट कंपनी प्राईवेट लिमिटेड।

पीएफआरडीए को तकनीकी और वाणिज्यिक बोलियों सहित इनके प्रस्ताव अंतिम तारीख अर्थात् 4 जुलाई, 2007 तक प्राप्त हो गए थे । पीएफआरडीए द्वारा एक स्वतंत्र चयन समिति का गठन किया गया था और इसे पात्र कंपनियों से प्राप्त प्रस्तावों का मूल्यांकन करने और आरएफपी की अपेक्षाओं (तकनीकी व वाणिज्यिक) के अनुसार सर्वोत्तम मूल्य वाले तीन बोलीदाताओं को छांटने का उत्तरदायित्व सौंपा गया था ।

इस समिति ने तकनीकी और वाणिज्यिक मानदंडों सहित समग्र मूल्यांकन के आधार पर (i) भारतीय स्टेट बैंक (ii) यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी प्राईवेट लिमिटेड और (iii) जीवन बीमा निगम को सर्वोत्तम मूल्य वाले तीन बोलीदाताओं के रूप में पाया और नई पेंशन प्रणाली के अंतर्गत पेंशन निधियों के प्रायोजकों के रूप में उनकी नियुक्ति की अनुशंसा की है ।

चयनित प्रायोजकों के साथ शीघ्र ही संविदा करारों पर हस्ताक्षर किए जाने की संभावना है जिसमें उन्हें एनपीएस के अंतर्गत संचित निधि के प्रबंधन हेतु पेंशन निधियों के रूप में अलग-अलग कंपनियों को समार्ा वङ्ट करने के लिए प्राधिकृत किया जाएगा ।